2019/00028
2019/00041

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰

(1) प्रकरण संख्या 09/2019 (राजसमन्द डिक्री)

1. पुखराज पिता टीकमचन्द्र जी, जाति कलाल, निवासी देवगढ़, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
2. श्रीमती टमु पत्नी केजरीमल जी, जाति कलाल, निवासी देवगढ़, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
3. पवन पिता टीकमचन्द्र जी, नाबालिग जरिये संरक्षिका माता श्रीमती टमु पत्नी केजरीमल जी, जाति कलाल, निवासी देवगढ़, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. विनय कुमार जैन पिता बाबुलाल जी, जाति जैन, निवासी देवगढ़, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
2. मनीष पिता बाबुलाल जी, जाति जैन, निवासी देवगढ़, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
3. सुरेश कुमार पिता टीकमचन्द्र जी, जाति कलाल, निवासी देवगढ़, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
4. श्रीमती नन्दु बाई पत्नी टीकमचन्द्र जी, जाति कलाल, निवासी देवगढ़, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

(2) प्रकरण संख्या 10/2019 (राजसमन्द डिक्री)

1. पुखराज पिता टीकमचन्द्र जी, जाति कलाल, निवासी देवगढ़, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
2. श्रीमती टमु पत्नी केजरीमल जी, जाति कलाल, निवासी देवगढ़, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
3. पवन पिता टीकमचन्द्र जी, नाबालिग जरिये संरक्षिका माता श्रीमती टमु पत्नी केजरीमल जी, जाति कलाल, निवासी देवगढ़, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. विनय कुमार जैन पिता बाबुलाल जी, जाति जैन, निवासी देवगढ़, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
2. मनीष पिता बाबुलाल जी, जाति जैन, निवासी देवगढ़, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
3. सुरेश कुमार पिता टीकमचन्द्र जी, जाति कलाल, निवासी देवगढ़, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:38:49 IST
Reason: SelfAttested

4. श्रीमती नन्दु बाई पत्नी टीकमचन्द्र जी, जाति कलाल, निवासी देवगढ़, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
का॰अ॰ 1955 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड
देवगढ़ प्रा.डिक्री दिनांक 03.01.2019
अंतिम डिक्री 16.01.2019 प्र.सं. 73/17

———/———

उपस्थित :— 1. श्री राजूसिंह रावत/जगदीश पुरोहित अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री दिग्विजयसिंह चुण्डावत अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2
3. श्री पैरोकार सरकार अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5

———::———

निर्णय दिनांक 17—05—2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी की खरीदशुदा स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी नंबर 1611 रकबा 5 बिस्वा (आ.चा.), आराजी नंबर 1612 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, आराजी नंबर 1613 रकबा 9 बिस्वा भूमि ग्राम देवगढ़ में स्थित है। वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदार होने से आपसी सुविधानुसार विभाजन कर रखा है, किन्तु भूमि विकास में परेशानी आने से मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाना आवश्यक है। अतः विवादित आराजियात का पक्षकारान के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03—01—2019 को वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी तत्पश्चात् प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 16—01—2019 को अंतिम डिक्री जारी की गयी।

उक्त प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 03—01—2019 से रूष्ट होकर अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 द्वारा अपील संख्या 9/2019 इस न्यायालय में दिनांक 08—02—2019 को तथा अंतिम डिक्री दिनांक 16—01—2019 के विरूद्ध अपील संख्या 10/2019 इस न्यायालय में दिनांक 08—03—2019 को प्रस्तुत की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:38:49 IST
Reason: SelfAttested

अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री दिग्विजयसिंह चुण्डावत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दोनों ही अपीलें अधिनस्थ न्यायालय के एक ही प्रकरण संख्या 73/2017 में पारित प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री के विरूद्व होने तथा पक्षकारान समान होने से दोनों का एक ही निर्णय लिखाया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति संबंधित पत्रावली पर रखी जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोनों अपीलों के अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्टगण की जो जवाबदेही रही, वह स्वीकारात्मक नहीं रही, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने तनकियां कायम नहीं की तथा निर्णय व डिक्री में जिन दस्तावेजों का हवाला दिया गया, वह प्रदर्श ही नहीं हुए हैं, क्योंकि तनकियां कायम ही नहीं हुई हैं, न ही किसी प्रकार की साक्ष्य ली गयी है। दिनांक 03–01–2019 की आदेशिका में अगली पेशी दिनांक 16–02–2019 नियत की गयी है, जिसे बाद में काटकर 16–01–2019 कर दिया गया है, जिसकी उभयपक्ष को कोई सूचना नहीं दी गयी है। विभाजन योजना में राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गयी है तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 से मिलीभगत कर पटवारी हल्का ने विभाजन योजना तैयार की है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री तथा अंतिम डिक्री त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री तथा अंतिम डिक्री निरस्त की जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने उक्त बहस का जवाब देते हुए कि अधिनस्थ न्यायालय ने रेकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित करते हुए प्रारम्भिक डिक्री जारी की है तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अंतिम डिक्री जारी की है, जो विधि सम्मत हैं। अतः दोनों अपीलें खारिज की जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:38:49 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 में विवादित आराजी नंबर 1611 रकबा 5 बिस्वा (आ.चा.), आराजी नंबर 1612 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि विनय कुमार व मनीष कुमार पिता कालूलाल दक 1/2 हिस्सा तथा टमू बेवा केसरीमल, पवन पिता केसरीमल ना.बा. संरक्षक माता टमु देवी, पुखराज, सुरेश कुमार पिता टीकमचन्द, नन्दू बाई बेवा टीकमचन्द 1/2 हिस्सा दर्ज है। इसी प्रकार आराजी नंबर 1613 रकबा 9 बिस्वा में विनय कुमार व मनीष कुमार पिता कालूलाल दक का 4/9 हिस्सा तथा टमू बेवा केसरीमल, पवन पिता केसरीमल ना.बा. संरक्षक माता टमु देवी, पुखराज, सुरेश कुमार पिता टीकमचन्द, नन्दू बाई बेवा टीकमचन्द का 5/9 हिस्सा दर्ज है। अर्थात आराजी नंबर 1611 व 1612 में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 का 1/2 एवं आराजी नंबर 1613 में 4/9 हिस्सा दर्ज है तथा अपीलान्टगण व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 व 4 का आराजी नंबर 1611 व 1612 में 1/2 एवं आराजी नंबर 1603 में 5/9 हिस्सा दर्ज है। विवादित आराजियात वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के सहखातेदार में दर्ज होने से अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त दर्ज हिस्से व कब्जे अनुसार विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है, जिसके पश्चात् विभाजन प्रस्ताव अनुसार रास्ते की अलग से आवश्यकता नहीं होने एवं पक्षकारान के मध्य दर्ज हिस्से अनुसार ही उनका रकबा रखते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री जारी की गयी है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

अतः दोनों अपीलें सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 03–01–2019 एवं अंतिम डिक्री 16–01–2019 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 17–05–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:38:49 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.......भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.........मुकाम........उदयपुर............
व इजलास ....प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस. ....

पुखराम पिता टीकमचन्द्र कलाल, नि. देवगढ़, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द व अन्य

बनाम

विनय कुमार पिता बाबूलाल जैन, नि. देवगढ़, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द व अन्य

अपील नं.......09/2019...........व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी...... .....देवगढ़........... मुकाम................मुवर्खे.............03..............माह..............01............2019

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.........17....माह........05....सन् 2024 रूबरू.......पक्षकारान व हाजरी...श्री राजूसिंह रावत...मिनजानिब अपीलान्ट व....श्री दिग्विजयसिंह चुण्डावत

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री 03–01–2019 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये .... **X**...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.......17.......माह.......05..........2024 को जारी किया गया।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील...........		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर अपील के मुकदमे का खर्चा, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:38:49 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.......भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.........मुकाम........उदयपुर............
व इजलास ....प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰ ....

पुखराम पिता टीकमचन्द्र कलाल, नि॰ देवगढ़, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द व अन्य

बनाम

विनय कुमार पिता बाबूलाल जैन, नि॰ देवगढ़, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द व अन्य

अपील नं॰......10/2019...........व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी...... .....देवगढ़........... मुकाम................मुवर्खे.............16..............माह..............01............2019

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.........17....माह........05....सन् 2024 रूबरू.......पक्षकारान व हाजरी...श्री राजूसिंह रावत...मिनजानिब अपीलान्ट व....श्री दिग्विजयसिंह चुण्डावत

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं अंतिम डिक्री 16–01–2019 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये .... **X**...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.......17.......माह.......05..........2024 को जारी किया गया।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील...........		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकैन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:38:49 IST
Reason: SelfAttested